जनसुनवाई की कार्यवाही का विवरण

जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टन प्रति घंटा की खनन् परियोजना, **मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार उपक्रम)** एम.एल. नं. 02/94, क्षेत्रफल – 1122.38 हैक्टेयर (प्रस्तावित खनन क्षेत्रफल 572.33 हैक्टेयर बी–ब्लॉक का), प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 6.9975 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम) (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन – 2.1263 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट – 0.9112 मिलियन टन प्रतिवर्ष) एवं प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टन प्रति घंटा, ग्राम – भदवासी एवं अन्य ग्राम धाकोरिया, गनठीलासर, माकोडी, पीलनवासी, बालासर, भडाना, बालवा एवं मंजीवास, तहसील एवं जिला – नागौर (राजस्थान), की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में दिनांक 19.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे राजकीय प्राथमिक विधालय, पीलनवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर (राजस्थान) में आयोजित जनसुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के पत्र कमांक RPCB/RO NGR/PUB-186/2239 दिनांक 11.01.2024 एवं कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र कमांक 337 दिनांक 10.01.2024 की अनुपालना में जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टन प्रति घंटा की खनन् परियोजना, मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार उपक्रम) एम.एल. नं. 02/94, क्षेत्रफल – 1122.38 हैक्टेयर (प्रस्तावित खनन क्षेत्रफल 572.33 हैक्टेयर बी–ब्लॉक का), प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 6.9975 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम) (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन – 2.1263 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट – 0.9112 मिलियन टन प्रतिवर्ष) एवं प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टन प्रति घंटा, ग्राम – भदवासी एवं अन्य ग्राम धाकोरिया, गनठीलासर, माकोडी, पीलनवासी, बालासर, भडाना, बालवा एवं मंजीवास, तहसील एवं जिला – नागौर (राजस्थान), की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में दिनांक 19.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे राजकीय प्राथमिक विधालय, पीलनवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर में आयोजित की गई। जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर सलंग्न है। जनसुनवाई की आम सुचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र मे दिनांक 13 जनवरी 2024 एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 12 जनवरी 2024 को प्रकाशित करवाई गई जो की परिशिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न हैं।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की क्षेत्रिय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आगन्तुकों का स्वागत किया तत्पश्चात श्री सुनिल कुमार उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई। श्रीमती सविता,

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

Savita

क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेदृश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को आमंत्रित किया।

श्री डी.एस. आचार्य, (मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड) ने परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृती से समबंधित प्रकिया के बारे में बताया तथा भूमि आवाप्ति से संमबधित प्रकिया तथा उससे संबधित अधिसूचनाओ के बारे में बताया व साथ ही यह भी बताया की इस परियोजना में केवल ब्लॉक बी में ही खनन कार्य प्रस्तावित है। इस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर ने कहा की आज की जनसुनवाई कार्यक्रम में केवल पर्यावरण से संबधित जानकारी, फायदे एवं नुकसान के बारे में ही बताने का आग्रह किया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से पर्यावरणीय सलाहकार टीम वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी दी। इस खनन परियोजना का कुल क्षेत्रफल 1122.38 हैक्टेयर है जो कि 4 ब्लॉको में है। (ब्लॉक ए–448. 83 हैक्टेयर, ब्लॉक बी –572.33 हैक्टेयर, ब्लॉक जी – 32.85 हैक्टेयर एवं ब्लॉक के – 68. 37 हैक्टेयर)। खनन कार्य केवल ब्लॉक बी में ही प्रस्तावित है। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, परियोजना की स्थिति, परियोजना मे उपस्थित खनन परियोजनाओ की जानकारी, लोकेशन मेप, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण सरंक्षण उपाय, खननं की अन्तिम सीमा, खनन की अन्तिम सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन कें साथा हरित पट्टिका का विकास, खनन की पद्वति, पर्यावरण प्रबंधन योजना, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक दायित्वो के तहत किये जाने वाले कार्यो का विवरण (सी.एस.आर.) , श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री सुनिल कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर ने उपस्थित जन समुदाय को जनसुनवाई हेतु जागरूक करते हुए उपस्थित लोगो से उक्त परियोजना के सबन्ध में उनकी आपत्ति एवं सुझाव बताने को कहा।

इसी क्रम में उपस्थित जनसमुदाय में से कुछ सुझाव मौखिक रूप से व्यक्त किए गए।

1. श्री रामजीवन, ग्राम भदवासी ने कहा की इस क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यजीव जैसे हिरण, मोर एवं अन्य पुशु पक्षी जैसे गाय, गिर गाय आदि के बारे में इस परियोजना में आपने कुछ नही बताया है तथा इस क्षेत्र में कुछ गौशालाए संचालित है तथा कुछ निमार्णाधिन है उनके सरंक्षण के बारे में आपने कुछ नही बताया तथा मेरा आग्रह है की जब तक ये इस विषय में कोई जानकारी नही देते है तब तक इनको किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया जाए।
2. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा की जनसुनवाई में आप लोगो को जो भी बताया गया है वे मुख्य–मुख्य बिन्दुओ को बताया गया है तथा अब आप

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

Savita

सभी कें जो भी सवाल अथवा आपत्तिया है उनका भी जवाब दिया जाएगा। जो पर्यावरणीय आकलन रिपोर्ट हमने बनाई है तथा संबधित विभागो को जमा करवाई है उसमे हमने यहा के आस–पास के पेड़ पौधो तथा जीव जन्तुओ की स्थिति को भी दशार्या है साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुख्य रूप से पारिस्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए तकरीबन 4.0 लाख पेड–पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है तथा अनिवार्य भी हे क्यो कि पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा दिये जाने वाला एक सशर्त पत्र होता है जिसमें अभी जो भी बाते हमने बताई वे सभी बाते उस पत्र में सशर्त लिखित में होती है जिसकी पालना हेतु परियोजना प्रस्तावक बाध्य होता है। तथा जब तक परियोजना चलेगी तब तक अनिवार्य रूप से इन सभी शर्तो की पालना हेतु एक कम्पलाईंस रिपोर्ट हर 6 माह से अन्तराल पर नियमित रूप से संबधित विभागो को जमा करवानी होगी तथा यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन शर्तो की पालना पूर्ण रूप से नही की जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र को सरकार द्वारा खारिज किये जाने का प्रावधान भी है। इसके साथ ही वन्य जीवो सुरक्षा के लिए कनर्जवेशन प्लान भी बनाया जा रहा है तथा जिसे संबधित वन विभाग को भेजा जाएगा व संबधित वन विभाग द्वारा बताये जाने वाले सभी बिन्दुओ पर नियम से कार्य किया जाएगा। तथा यहा पाए जाने वाले पशु पक्षियो को वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानो के अन्तर्गत मोर, हिरण व अन्य कुछ जीव जन्तु जो शेडयूल्ड 1 के अन्तर्गत डाला जा चुका है तथा इसी अधिनियम के अन्तर्गत कनर्जवेशन प्लॉन को वन विभाग को दिया जाएगा। तथा अनुमोदित करवाया जाएगा। तथा उसकी सभी शर्तो की पालना परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण रूप से की जाएगी।

3. श्री रामजीवन, ग्राम भदवासी ने कहा की हम समस्त लोगो को हमारी स्थानीय भाषा में ही वार्तालाप करे व जवाब दे यह कहते हुए कहा की यहा पूर्व में भी कई कम्पनीया आई जैसे ए.सी.सी. व अन्य। इन सब लोगो ने यहा पाये जाने वाले जीव जन्तुओ को मारा है यह क्षेत्र शाकाहारी जीव जन्तुओ का क्षेत्र है अतः प्रस्तावित कम्पनी द्वारा इन बातो का पूर्ण ध्यान रखा जाए। इसी क्रम में बताया गया की किसी भी कम्पनी ने यहा कोई भी प्रकार का वक्षारोपण नही किया है तथा जो वर्तमान मे पेड पौधे लगे हुए है उनको ग्रामीणो द्वारा ही लगाया गया है अतः प्रस्तावित कम्पनी को यहा खनन हेतु नही आने का आग्रह किया। तथा इसी क्रम में उन्होने कहा की हमारे यहा के पानी के स्त्रोत भी कम एवं प्रदूषित होते जा रहे है। हमें ऐसा लग रहा है की आप भी वैसे ही काम करोगे जैसे पूर्व की कम्पनियो ने किया तो आप आए उसका स्वागत है, अब आप वापस चले जाओ।

4. श्री अर्जुन राम सिंह, ग्राम ढाकोरिया ने श्री रामजीवन, ग्राम भदवासी के द्वारा बताई गई बातो का समर्थन किया तथा बताया की यहा उपरी जिप्सम का खनन पिछले 80 सालो से हो रहा है। पूर्व की कम्पनियो द्वारा किये गए खनन कार्यो से वहा की जमीन अनउपजाउ हो गई है जिससे वहा खेती करने की संभावना कम हो गई है। तथा इसी क्रम में कहा की यहा पर पूर्व में हुए जीव जन्तुओ पर हमले का हमने सामना किया है जिनकी (मरने वाले हिरणो की) हमने समाधिया बनवा रखी है।

इसके संबध में उन्होने कहा की अभी आपने बताया है की हम इसके संबध में वन विभाग को बताएगे तो मेरा विचार यह है कि आप बताओ की आप वन्य जीवो को किस प्रकार से यहा से स्थानान्तरित करोगे। तथा उन्होन यह भी कहा की यहा के हिरण, मोर, गाय इस क्षेत्र में रहने के आदी हो चुके है तो इनको स्थानानतरित करना संभव नही है। तथा यह भी बताया की यहा जल स्तर काफी गिर रहा है। यहा पर 3 संचालित गौशालाए है जिनमे 1000 से ज्यादा गाये है, 400 के आसपास रोजडे है जो कि यहा की गौचर जमीन में विचरण करते है। आप लोगो ने इस जनसुनवाई की सूचना के लिए प्रयास किए जैसे की फोन के द्वारा भी मैसेज किए गए लैकिन प्रर्याप्त सूचना नही दी गई यहा की जनता समझदार है ये अपनी उपस्थित दर्ज नही करवाएगे। आपकी कम्पनी द्वारा लोगो का दिल जीतने पर ही आपको कार्य करने दिया जाएगा।

5. श्री डी.एस. आचार्य, (मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड) ने बताया की आपकी बात बिल्कुल सत्य है हम दिल जीत कर ही काम करेगे। मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को यहा 2004 से लीज मिली है परन्तु यह अभी तक कोई खनन कार्य नही किया गया है। क्यो की पहले 50 मीटर नीचे से जिप्सम निकालना संभव नही था क्यो की लागत ही ज्यादा आ रही थी व अब जमीन के नीचे स्थित जिप्सम खनिज की देश को आवश्यकता है तथा देश की जिप्सम खनिज में आत्मनिर्भरता हेतु इस परियोजना को सरकार द्वारा यहा लाने के प्रयास किए जा रहे है।

6. श्री मदन लाल सुथार, घंटीलासर, सरंपच ने कहा की यहा स्थित गौशालाओ का क्या होगा। गौशालाओ को स्थानानतरित किया जाएगा या यही रखा जाएगा। इस संबध में अभी तक किसी ने बात नही करी है तथा यह बात की जानी जरूरी है यहा पर बहुत से पेड–पौधे लगाए हुए है आप आगे जाओगे तक आपको दिखाई देगे उनका क्या होगा। यहा पर स्थित गौचर जमीन का क्या होगा।

7. श्री सुनिल कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर ने इन सवालो के क्रम में पूछा की कम्पनी द्वारा गौशाला एवं गौचर में खनन का क्या प्लान रहेगा।

8. श्री डी.एस. आचार्य, (मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड) ने बताया की गौशालाए जहा है वही रहेगी एवं गांव की सहमती से अगर गांव चाहे तो हम अच्छी गौशालाए बनाने के लिए एवं पूर्व की गौशालाओ के विकास के लिए भी आर्थिक सहयोग करेंगे। तथा बताया की गौचर जमीन के नीचे किसी भी प्रकार का जिप्सम उपलब्ध नही है तथा वहा हम कुछ समय के लिए सरकार की अनुमती तथा आप लोगो की अनुमती लेकर उपरी मलबा डालेगे तथा गौचर जमीन पर कोई खनन कार्य नही होगा।

9. श्री रामकरण, गौशाला संचालक ने कहा की गौचर में मलबा डालने से जमीन पर घास नही उगेगी जिससे गौचर को नुकसान होगा, आपको मलबा डालने के लिए प्रशासनिक व एन.जी.टी. से अनुमति लेनी पडेगी।

10. श्री डी.एस. आचार्य, (मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड) ने बताया की हमने पहले ही कहा है की गौचर में कोई भी खनन कार्य नही होगा।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

11. श्री अर्जुन राम सिंह, ग्राम ढाकोरिया ने कहा की गौचर में मलबा डालने से जमीन अनउपजाऊ होगी। गौचर जमीन के अलावा अन्य जमीन मे खनन कार्य करने से गहरे गढ्ढे होगे जिससे गायो के गौचर जमीन में विचरण करने जाने में रास्ते अवरूद्व होगे। उनके लिए क्या प्रयास किए जाएगे। खनन कार्य किए जाने से बहुत सी मिट्टी व घूल के कण उडेगे। जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। जिससे कई प्रकार की बीमारिया होगी। लोगो का स्वास्थ्य खराब होगा। आप 350 टी.पी.एच. का क्रैशर लगाओगे तो प्रदूषण निंयत्रित नही होगा। बिना पानी के आप कैसे कार्य करोगे। अगर ऐसा होता है तो हम शिकायत करे तो शिकायत करने का क्या प्रावधान रहेगा। हमारी तरफ से सुनवाई कौन करेगा।

12. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया की गौचर में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नही किया जाएगा तथा ना ही मलबा डाला जाएगा। तथा किसी भी प्रकार से घूल मिट्टी नही उडे इसके लिए वैज्ञानिक पद्वति से ही खनन कार्य किया जाएगा। तथा क्रैशर को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रण मंडल के तय मानको को पूरी तरह अपनाकर ही संचालित किया जाएगा जैसे की पानी का छिडकाव किया जाएगा तथा संपूर्ण क्रैशर को ढक कर संचालित किया जाएगा जिससे धूल उडने की संभावना नही होगी। तथा खनिज परिवहन के दौरान उपयोग में आने वाली कच्चे ग्रेवल रास्तो को पक्का कर दिया जाएगा तथा निरंतर पानी का छिडकाव किया जाएगा। तथा खनन परिवहन के दौरान तिरपाल से ढककर ही खनिज का परिवहन किया जाएगा।

13. श्री रामजीवन, ग्राम भदवासी ने कहा की कुछ समय पहले यहा मालगाडी के द्वारा परिवहन कार्य किया जाने लगा है जिससे हम लोग प्रभावित हूए की बडी गाडी आई है लेकिन उसके परिवहन से यहा चोरिया होने लगी है जो पहले नही होती थी अगर आप भी यहा आओगे तो जीव जन्तू मरेंगे तथा लोग आएगा तो चोरिया होगी तो हमारा निवेदन है की आप भी यहा से वापस चले जाए। हमारी सहमती आपको नही होगी। और यहा गांव के आस पास 40–50 फैक्ट्रीया है जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और आपके यह खनन कार्य करने से भी ऐसा ही होगा और पेड पौधे भी कटेंगे। आज तक किसी भी कम्पनी ने गायो के संरक्षण के लिए कार्य नही किया है। आपने हमारी समस्या नही पूछी तो हम आंदोलन करेंगे। साहब से यह निवेदन है कि आप इनको यहा से निकालो।

14. श्री डी.एस. आचार्य, (मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड) ने बताया की आप बार बार वही बात कर रहे हो ए.सी.सी. कम्पनी के समय हुआ मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ने अभी यहा खनन कार्य शुरू नही किया है। आपके द्वारा बताई गई सारी समस्याओ का समाधान होगा इसका विश्वास हम दिलाते है तथा वैज्ञानिक पद्वति से हम खनन कार्य करेगे। तथा सभी प्रकार की सहमतियो से ही खनन कार्य करेगे।

15. श्री भवंरा राम जांगू, ग्राम बालासर ने कहा की आपकी कम्पनी का नाम पहले आर. एस.एम.डी.सी. था उस समय आप लोगो ने कितने पौधे लगाए।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

16. श्री डी.एस. आचार्य, (मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड) ने बताया की आर.एस.एम.डी.सी. के पास क्षेत्र एक से दो वर्ष के लिए रहा उसके बाद क्षेत्र खनन कार्य के लिए मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के लिए आंवटित हुआ उसके बाद से खनन कार्य बंद है

17. श्री सुनिल कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर ने इन समस्त सवालो क्रम में पूछा की लोगो की समस्या गौचर, गाय एवं प्रदूषण से संबधित है तो आप लोगो द्वारा आश्वत भी किया है की हम इनके लिए आर्थिक सहयोग करेंगे लेकिन आप अपनी सी.एस.आर. में गायो के संरक्षण के लिए भी प्रावधान रखे।

18. श्री भंवरा राम गौरा, ग्राम मकोडी ने कहा की हम लोग यहा दुखी है यहा जो फेक्ट्रिया चल रही है उनसे हम बीमार हो रहे है। यहा लाखो जीव जन्तु मर जाएगे हम इनके लिए खुद मर जाएगे परन्तू जीव–जन्तुओ को नही मरने देगें। यहा इस क्षेत्र में मकोडी पंचायत में 10 गौशालाए संचालित है जिनके संचालन के लिए हम किसान किसी न किसी प्रकार से सहायता करते रहते है आप लोग क्या सहायता करोगे, आपने आज तक क्या सहायता करी है आपके पास ऐसा कोई सबूत हे तो बताओ। मै यहा किसी भी प्रकार के जीव जन्तु को नही मरने दूगा चाहे मै मर जाउ।

19. श्री रामकरण, गौशाला संचालक ने कहा की आपने जो भी पर्यावरण संरक्षण के बिन्दु बताए तथा हर 6 माह में कम्पलाईस रिपोर्ट के समस्त शर्तो की अनुपालना की जांच हेतु ग्राम पंचायत को भी शामिल किया जाए।

20. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया ऐसा कोई सरकारी प्रावधान नही है लैकिन कम्पलाईस रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा रिपोर्ट की जांच कराई जाएगी ऐसा हम प्रस्ताव रखने का प्रयास करेगे जिससे संपूर्ण शर्तो की पालना हो।

21. क्षैत्रीय अधिकारी, श्रीमती सविता द्वारा बताया गया की कम्पलाईस रिपोर्ट को जमा करने पर उसका निरीक्षण किया जाएगा तथा सम्पूर्ण शर्तो की पालना होने पर ही उसे सत्यापित किया जाएगा।

22. श्री सुनिल कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर ने बताया की नियम तो समस्त बने हूए है लैकिन हमे जागरूक होने की आवश्यकता है।

23. उमाराम सियाग, बालवा संरपच प्रतिनिधि ने कहा की जब यहा खनन कार्य शुरू किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार स्थानीय लोगो को दिया जाए तथा मेरा यह मत है की जमीन अधिग्रहण के दौरान कम्पनी से प्रार्थना है की जितनी जमीन हमसे ले उतनी ही जमीन की 20 से 30 कि.मी. के दरमियान कही वापस दिलवा दे।

24. श्री डी.एस. आचार्य, (मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड) ने बताया की रोजगार हेतु केवल स्थानीय लोगो को ही वरीयता दी जाएगी जिसमें से पहली वरीयता उनकी होगी जिनके खेत बी ब्लॉक में आते है।

25. डॉ. पवन श्रीमाली, एडवोकेट ने कहा की मै इन गांव वालो का प्रतिनिधित्व कानूनी रूप से कर रहा हूँ। आपके द्वारा जो जनसुनवाई के संबध में ड्राफट ई.आई.ए./ई.

Savita

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

एम.पी. रिपोर्ट की प्रति अग्रेजी अनुवाद में दी गई जो की ग्रामवासी नही पढ पा रहे है। जो भी हमने आपत्तिया दर्ज की है उनके निवारण के बिना किसी भी प्रकार की अनुमति नही दी जाए और ड्राफट ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट की प्रति हिन्दी अनुवाद के साथ ग्राम पंचायत में 3 दिन के लिए कैम्प लगाकर लोगो को बताया जाए। तथा सब लोगो की समस्याओ का निवारण किया जाकर ही कोई अनुमति दी जाए। पूर्व में भी हमारे द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण विभाग, नागौर को बिन्दुवार सुझाव/आपत्ति दी जा चुकी है तथा इन्होन ग्राम वासियो को समझाया की कुछ खनिज जो जमीन में मिलते है चाहे वो आपकी जमीन में हो या सरकारी जमीन में हो उनके खनन का अधिकार सरकार के पास होता है। जिनका सरकार उपयोग कर सकती है। ग्रामवासियो को समझाते हुए कहा की आप किसी प्रकार से आशंकित ना हो आपकी समस्त समस्याओ का निवारण किया जाकर ही कार्यवाही को आगे बढाया जाएगा। तथा कम्पनी द्वारा दिए गए ड्राफट भूमि अधिग्रहण (R&R Plan) में आपके द्वारा भूमि की दी गई कीमत से हम सहमत नही है इसे आप पुनः सुधार करे। आपके द्वारा दिए गए लिखित सुझाव हस्ताक्षर सहित उपखण्ड मजिस्ट्रेट व क्षेत्रीय अधिकारी को दिए जाएगे। इसके पश्चात ही आगे की कार्यवाही की जाए।

26. श्री सुनिल कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पूछा गया की आपके द्वारा ऐसी कोई सूचना हिन्दी अनुवाद में उपलब्ध करवाई गई है क्या ?

27. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया की ड्राफट ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट की प्रति व इसका कार्यपालक सार मय हिन्दी अनुवाद के साथ निम्न विभागो/कार्यालयो/ग्राम पंचायत/स्कूल जो की प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागौर द्वारा अपने पत्र में दर्शाये गए थे उन समस्त विभागो/कार्यालयो/ग्राम पंचायत/स्कूल में ड्राफट ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट की प्रति व इसका कार्यपालक सार मय हिन्दी अनुवाद के साथ तय समय पर उपलब्ध कराया जा चुका है जिसकी उक्त विभागो/कार्यालयो/ग्राम पंचायत/स्कूल द्वारा प्राप्त होने की प्रति प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागौर को उपलब्ध कराई जा चुकी है। तथा वाहन के माध्यम से जनसुनवाई का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा चुका है। तथा आपके द्वारा दिए गए सारे सुझाव व उनके निवारण हेतु प्रावधान फाईनल ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट में दशार्ये जाएगे तथा जनसुनवाई की विडीयो रिकार्डिग भी इसलिए ही कराई जाती है ताकी कोई भी सुझाव/आपत्ति व उनके निवारण हेतु प्रावधान फाईनल ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट के माध्यम से सक्षम स्तर तक पहुचाए जाए।

28. श्री भंवरा राम गौरा, ग्राम मकोडी ने कहा की इस जनसुनवाई की कई ग्रामवासियो को सूचना ही नही है तकरीबन 25 प्रतिशत लोगो ही यह सूचना है। तथा यह भी कहा की भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारो को कहा पर पुनः स्थापित किया जाएगा।

29. श्री सुनिल कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर ने बताया की कम्पनी द्वारा इन बिन्दुओ को जवाब दिया जा चुका है। तथा साथ ही कहा की आपके द्वारा दिये गए समस्त सुझावो/आपत्तियो को सक्षम स्तर तक पहुचाया जाएगा।

Danita

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

अन्त में श्रीमती सविता, क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी ग्राम वासियो को जनसुनवाई में आने के लिए धन्यवाद दिया तथा जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त परियोजना से समबधित प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति/प्रार्थना पत्र जो की लिखित में 04 प्राप्त हुए हे उन्हे उक्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण के साथ सलंग्न किया जाएगा जो की परिशिष्ट संख्या 03 पर सलंग्न हैं।

श्रीमती सविता क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर	श्री सुनील कुमार उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर, राजस्थान उपखण्ड अधिकारी नागौर

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज), गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला– नागौर के "जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन प्रोजेक्ट्स, एम.एल. नं. 02/1994, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 300 TPH, कुल क्षेत्रफल– 1122.38 हेक्टर, एवं खनन उत्पादन क्षमता– 6.9975 MTPA (ROM) (जिप्समऋ 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले(अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज)– 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.) एवं खनन क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला– नागौर।
दिनांक :– 19.02.2024
समय :– दोपहर 12:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	SUNIL KUMAR SDM, NGR		[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB, Nagaur	9983411222	Savita
3.	Rameshwar Lal Garhwal Tdr Nagaur	9950571964	[signature]
4.	A.K. Jaiswal, H&I-Gypsum RSMML, Bikaner	9414163343	[signature] 19.02.24
5.	R.S. Shekhawat, DGM(P&A) RSMML, Bikaner	9414163020	[signature]
6.	Dr. Pawan Shrimali Advocate Nagaur	9414216501	[signature]
7.	पन्नाराम	9998578967	पन्नाराम
8.	मनसुखी, पटवारी मकोड़ी	7073121217	[signature]
9.	बालाराम पटवारी बाडाळी	9079019107	[signature]
10.	Tejaram mayaj		[signature]
11.	HANIF TAK	9413341095	[signature]
12.	Shivdayal Godara (Vibrant technolab Pvt ltd)	9549956601	शिवदयाल

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज), गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला– नागौर के "जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन प्रोजेक्ट्स, एम.एल. नं. 02/1994, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 300 TPH, कुल क्षेत्रफल– 1122.38 हेक्टर, एवं खनन उत्पादन क्षमता– 6.9975 MTPA (ROM) (जिप्समऋ 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले(अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज)– 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.) एवं खनन क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला– नागौर।
दिनांक :– 19.02.2024
समय :– दोपहर 12:00 बजे से

13.	Umesh Kumar Sharma (Vibrant Techno lab Pvt Ltd)	9549956604	
14.	Hanshraj Nagaura (RSPCB, Nagaur)	6376522773	[signature]
15.	Imran Ali RSMM Ltd. Nagaur	9414064216	[signature]
16.	D.S. Acharya RSMML	9414163345	[signature]
17.	Mahavir Singh	8005785819	[signature]
18.	Shridan Koden Vibrant Techo lab	7734995193	[signature]
19.	[illegible]	7014882007	[signature]
20.	Sunil Kumar	9828403440	[signature]
21.	Giriraj Kandara	7014759275	[signature]
22.	Ramjivan Bhadu [signature]	[signature]	
23.	कुलदीप परिहार मूण्डवा	9413687276	[signature]
24.	[illegible] परिहार	9414202085	[signature]
25.	राम निवास सारस्वत	9414463377	[signature]

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज), गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला– नागौर के "जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन प्रोजेक्ट्स, एम.एल. नं. 02/1994, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 300 TPH, कुल क्षेत्रफल– 1122.38 हेक्टर, एवं खनन उत्पादन क्षमता– 6.9975 MTPA (ROM) (जिप्समत्र 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले(अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज)– 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.) एवं खनन क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला– नागौर।
दिनांक :– 19.02.2024
समय :– दोपहर 12:00 बजे से

26.	म-चालान मे1209 PS मेड़ता	9649141741	
27.	ऊर्जाराम कानि० पुलिस थाना सदर	9889135695	[signature]
28.	Yogendra Saini, Jaipur	8370100402	Yogendra Saini
29.	गोपालराम		गोपाल
30.	गिरधारी		गिरधारी
31.	मगनाराम	कांकोड़ी	मगनाराम
32.	शिवराज	भदवासी	शिवराज
33.	मानाराम		मानाराम
34.	किशनाराम	कालावास	किशनाराम
35.	चैनाराम		चैनाराम
36.	शिवराज	पीलनवासी	शिवराज
37.			
38.			

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज), गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला– नागौर के "जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन प्रोजेक्ट्स, एम.एल. नं. 02/1994, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 300 TPH, कुल क्षेत्रफल– 1122.38 हेक्टर, एवं खनन उत्पादन क्षमता– 6.9975 MTPA (ROM) (जिप्समऋ 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले(अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज)– 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.) एवं खनन क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला– नागौर।
दिनांक :– 19.02.2024
समय :– दोपहर 12:00 बजे से

39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			

[illegible]

नागौर जिप्सम प्लास्टर उद्योग सेवा समिति भदवासी

(ऑफिस - ठाकुरजी मन्दिर के पास भदवासी जिला (नागौर))

[illegible]
अध्यक्ष
[illegible]

ताराचन्द [illegible]
सचिव
9460544440

भेघराज भाटी
सचिव
9672202020

नन्द किशोर परिहार
कोषाध्यक्ष
9003700202

[illegible] सिंवर
उपाध्यक्ष
9982071184

सहदेव परिहार
उपाध्यक्ष
9414118230

छोटूराम परिहार
सहसचिव
8619279181

उदाराम सिंवर
सहसचिव
8949084313

संदीप सिंवर
मीडिया प्रभारी
7296830230

भागीरथ जांगु
संगठन मंत्री
9829802308

कैलाश भाटी
संगठन मंत्री
9414864246

क्रमांक.......................... दिनांक..........................

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्रिय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
नागौर, राजस्थान

विषय – पर्यावरणीय अनापति हेतु आयोजित जनसुनवाई बाबत्।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि भदवासी जिप्सम खनन परियोजना की सार्वजनिक जन सुनवाई दिनांक 19.02.2024 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पिलनवासी में आयोजित की गई। हम समस्त ग्रामवासियों का अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निम्नलिखित मांगों को पुरा किया जाये –

1. खनन कार्य के दौरान पर्यावरण का ख्याल रखा जाये।
2. खनन में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये।
3. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के आधार पर जमीन का मूल्य का निर्धारण किया जाये।
4. भदवासी में स्थित लघु एवं सुक्ष्म उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये।

हम सभी इस प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं।

धन्यवाद

नागौर जिप्सम प्लास्टर उद्योग सेवा समिति, भदवासी

[signature]

अध्यक्ष
नागौर जिप्सम प्लास्टर उद्योग सेवा समि.
भदवासी (नागौर)

(अध्यक्ष)

[signatures]

16/02/2024

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
नागौर राजस्थान

विषय :- जन सुनवाई में पर्यावरण प्रेमी पद्म श्री हिम्मताराम जी भाम्भू को बुलाने बाबत

महोदयजी,

सादर नम्र निवेदन है कि समस्त ग्रामवासियों की आपसे अति विनम्र अपील है कि दिनांक 19/02/2024 को दोपहर 12:00 बजे राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी नागौर राजस्थान में आम जन सुनवाई में पर्यावरण प्रेमी पद्म श्री हिम्मताराम जी भाम्भू को आने के लिए आमंत्रित करवाए / इनके अलावा डॉ. महेन्द्र चौधरी [illegible] [illegible] विधायक [illegible] एवं पूर्व M.L.A मोहनराम जी चौधरी को आमंत्रित किया जाना अति आवश्यक है।

आपकी अति कृपा होगी हम आपके आभारी रहेंगे।

भवदीय
समस्त ग्रामवासी

प्रतिलिपि सूचनार्थ
1. क्षेत्रीय अधिकारी महोदयजी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर
2. श्रीमान जिला कलक्टर नागौर

[illegible signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं.स. नागौर (राज.)

मेघाराम भाम्भू

सियाराम
आशाराम भाम्भू
दानाराम
खींयाराम
हीराराम
सुखाराम
[illegible signature]
राजूराम
कालूराम
हेमाराम
जगदानाराम

15/02/24
AGE

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः– रापानिम / आरओ–नागौर / पी.यू.डी –186 / 2239 – 2243 दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर डी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए. क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.) प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2 और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
7. तहसीलदार, नागौर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर।
12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण / ज.सु. 2024 / 337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रेषकः–
[illegible]
[illegible]
[illegible], जयपुर

Rajasthan Pollution Control Board Nagaur
Receipt No. 905
Date 12-02/24

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर-- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-186/2239-2243 दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी-ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम - 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) - 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट- 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव-मदवासी, तहसील-नागौर, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
7. तहसीलदार, नागौर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, मदवासी।
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील- नागौर, जिला-नागौर।
12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान- राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील- नागौर, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
Savita
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Received on 7/2/24

भारत सरकार/Govt. of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
Regional Office, Jaipur

CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः– राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–186/2239 – 2243 दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव–मदवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
7. तहसीलदार, नागौर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, मदवासी।
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर।
12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से संम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
Savita
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

7/2/24

CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर— 341001 (राज.), इ—मेल—rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकः— राप्रनिम/आरओ—नागौर/पी.यू.बी.—186/   दिनांकः

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी—ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट— 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव—भदवासी, तहसील—नागौर, जिला—नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजरथान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :—

   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4—संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
   7. तहसीलदार, नागौर।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
   11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील— नागौर, जिला—नागौर।
   12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान— **राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील— नागौर, जिला—नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला—नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड—19 से संबधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

VDO

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर-- 341001 (राज.), ई-मेल--rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक:– राप्रनिम / आरओ–नागौर / पी.पू.सी.–186 /

दिनांक:

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम -- 3.8600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव--भदवासी, तहसील--नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज)** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
   7. तहसीलदार, नागौर।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
   11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला--नागौर।
   12. बी.डी.ओ. नागौर।

रु१५।।म।५२
२३।।२०२५

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे, **स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील-- नागौर,** जिला--नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से संम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता)
क्षैत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः– राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–186/2023-2024 दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.) प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
   7. तहसीलदार, नागौर।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
   11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर।
   12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 19.02.2024 (सोमवार)** को दोपहर 12:00 बजे, स्थान– **राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से संबधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

16/01/2024

CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर-- 341001 (राज.), इ-मेल--rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः-- राप्रनिम/आरओ--नागौर/पी.यू.बी.--186/2252-2273

दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित **जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना** आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी--ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम -- 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) -- 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट-- 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव--भदवासी, तहसील--नागौर, जिला--नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज)** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :--

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4--संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
7. तहसीलदार, नागौर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील-- नागौर, जिला--नागौर।
12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 19.02.2024 (सोमवार)** को दोपहर 12:00 बजे, **स्थान-- राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील-- नागौर, जिला--नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला--नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड--19 से संम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

Recieved
16/1/24

भवदीय

(सविता)
क्षैत्रीय अधिकारी

CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर– 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः– राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–186/2233–2242 दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सन, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
   7. तहसीलदार, नागौर।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
   11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर।
   12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 19.02.2024 (सोमवार)** को दोपहर **12:00 बजे, स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से संबधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

16.1.24

भवदीय

(सविता)

क्षैत्रीय अधिकारी

CS CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकः– राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–186/2239-2243 दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
7. तहसीलदार, नागौर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर।
12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 19.02.2024 (सोमवार)** को दोपहर 12:00 बजे, **स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से संम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवन् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

16/01/24

CS CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः– राप्रनिम / आरओ–नागौर / पी.यू.बी.–186 / 2232–2245

दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव–भदवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
7. तहसीलदार, नागौर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, भदवासी।
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर।
12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 19.02.2024 (सोमवार)** को **दोपहर 12:00 बजे, स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से संम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवन् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

प्राप्त किया।
16/01/2024
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र
नागौर (राज.)

भवदीय
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

CS CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकः– राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–186/2283-2292 दिनांकः 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी–ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम – 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) – 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट– 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव–मदवासी, तहसील–नागौर, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
7. तहसीलदार, नागौर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, मदवासी।
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर।
12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 19.02.2024 (सोमवार)** को दोपहर **12:00 बजे, स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील– नागौर, जिला–नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

CS CamScanner

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC- Gypsum
2, Gandhi Nagar Scheme, Bikaner-334001 (Rajasthan)
Phone: 0151-2523295/2544254, Fax 0151-2523519 CIN No. U14109RJ1949SGC000505
Web Site: rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in

Remitted 15/02 AE

No. : RSMML/GYP/BHADWASI/2023-24/191

Date: 8/2/2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिलाधीश कार्यालय के सामने,
जिला नागौर।

विषय : निवेदन वास्ते तैनाती पुलिस सुरक्षा बल दौरान जनसुनवाई (पर्यायवरण स्वीकृती) दिनाँक 19 फरवरी 2024 स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पीलनवासी, तहसील व जिला नागौर।

सन्दर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर का पत्र क्रमांक 2239 दिनाँक 11 जनवरी 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भान्तर्गत लेख है कि मैसर्स राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) (राजस्थान सरकार का उपक्रम) के खनन पट्टा क्षेत्र निकट ग्राम भदवासी आदि, तहसील व् जिला नागौर वास्ते खनिज जिप्सम इत्यादि के खनन हेतु खान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत **भदवासी जिप्सम खदान** के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृती प्रदान किये जाने क्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जिला प्रशासन के साथ दिनाँक 19 फरवरी 2024 अपरान्ह 12:00 बजे ग्राम पीलनवासी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में जनसुनवाई आयोजित किया जाना निर्धारित है। उक्त जनसुनवाई में खनन पट्टा क्षेत्र के ग्राम भदवासी, मकोड़ी, गँठीलासर, पीलनवासी, खेतास, ढाकोरियां, एवं बालासर आदि गावों के ग्रामीणों की बड़ी संख्या में उपस्थिति अपेक्षित है; अतएव शान्तिपूर्ण जनसुनवाई तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती आवश्यक है।

अतः श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि कृपया निर्धारित जनसुनवाई दिनांक 19 फरवरी 2024 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर, ग्राम पीलनवासी, तहसील व जिला नागौर में पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती करवाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

वास्ते राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)

प्रतिलिपि :
1. P.S. to M.D., RSMML :- For Favor of kind information to M.D.
2. श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर – आवश्यक सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय नागौर– आवश्यक सूचनार्थ।
4. थानाधिकारी महोदय, श्रीबालाजी पुलिस थाना, श्रीबालाजी, नागौर – आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ।
5. थानाधिकारी महोदय, सदर पुलिस थाना, नागौर – आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ।
6. मैसर्स 3एस जिप्सम माइनिंग एल.एल.पी., जयपुर – सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Pollution Control ... Receipt No. 899 Date 12/02/24

Dewasb 08/02/24 AEE

आपत्ति

सेवामें,

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर

विषय :– **आपत्ति** बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य) ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु।

सन्दर्भ :– प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12 जनवरी 2024 को श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदुषण/ज.शु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में प्रकाशित आम सुचना।

आपत्तिकर्ता :– नागौर तहसील के ग्राम भदवासी, गंठिलासर, मकोड़ी, पिलनवासी, ढ़ाकोरिया, बालवा, बालासर व अन्य गांवो के ग्रामवासी व किसान।

महोदयजी,

उपरोक्त सन्दर्भ में श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर द्वारा दिनांक 12.01.2024 को आम सूचना प्रकाशित कर मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति चाही गयी है एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानानुसार जन सुनवाई हेतु सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया गया है। उक्त नोटिस दिनांक 10.01.2024 के दिनांक 12.01.2024 को प्रकाशन होने के 30 दिवस के भीतर हम ग्रामवासीयों द्वारा किसी भी पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही है जो कि इस प्रकार है –

1. <u>अवलोकनार्थ सार अभिलेख का हिन्दी में उपलब्ध नहीं होना।</u>
   - यह है कि, उक्त खनन प्रयोजनार्थ से सम्बन्धित समूह ई आई ए/ ई एम पी रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख जिन कार्यालयों में उपलब्ध करवाये गये है। उक्त सभी दस्तावेजात पूर्णतया अंग्रेजी भाषा में हैं चूंकि ग्रामवासी किसानगण इतने पढ़े लिखे नहीं है जो इस प्रकार के दस्तावेजो की क्लिष्ट भाषा को समझ सकें। उपरोक्त सार अभिलेख आम जनता के अवलोकनार्थ विभिन्न कार्यालयों में रखे गये है जो कि हिन्दी अनुवाद नहीं होने से स्थानीय ग्रामवासी समस्त दस्तावेजो को पढ़ने व समझने में असमर्थ है एवं उक्त स्थानो पर आंगल भाषा में रखे गये दस्तावेजात व रेकार्ड को समझाने हेतु कोई सक्षम प्राधिकारी भी मौजूद नही है जिस कारण आम नागरिक ग्रामवासी व किसान उपरोक्त आंग्ल भाषा के दस्तावेजात को पूर्णतया सहीं ढ़ंग से पढ़ने व समझने में

Rajasthan Pollution Control Board Nagaur Receipt No. 886 Date 08/02/24

सरपंच ग्राम पंचायत बालवा पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत मकोड़ी पं.स.नागौर

असमर्थ है। ऐसी स्थिति में पूनः अवलोकनार्थ उक्त दस्तावेजात का हिन्दी अनुवाद विभिन्न कार्यालयों में रखा जाना आवश्यक है ताकि समस्त दस्तावेजात को आसानी से ग्रामवासी व किसान पढ़ सके व समझ सके।

2. <u>पर्यावरणीय नुकसान</u>

- यह है कि, उपरोक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि क्षेत्र में सघन वन है तथा वन विभाग द्वारा भी वन विकास कार्य करवाया जाकर हजारों पेड़ लगाये हुये है जिसमें मुख्यतः खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम, बबूल, बेर, पीपल, बरगद, देशी बबूल, देशी बोरड़ी, फोगड़ा व शीशम इत्यादि है। उपरोक्त परियोजना में खनन करने से उपरोक्त क्षेत्र में सघन वन समाप्त हो जायेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा एवं उपरोक्त पेड़ो पर आश्रित विभिन्न पक्षी भी बेघर हो जायेगें। अनेक वृक्ष कटने से वायु प्रदुषित होगी जिसकी कमी तुरन्त वृक्षारोपण कर पुरी नही की जा सकती है।
- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण की जाने वाले क्षेत्र में अनाज की खेती के अलावा भी विभिन्न जड़ी बूटिया, औषधिय पौधे इत्यादि भी उत्पन्न होते है जिसमें मुख्यतः अश्वगंधा, केर व धमासिया है। उपरोक्त क्षेत्र में खनन कार्य से औषधिय पौधे व जड़ी बुटिया भी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि अन्य स्थान ऐसे औषधिय पौधो के लिये उपयुक्त नही है।
- यह है कि, उपरोक्त परियोजना में जमीन को हजारो फीट तक खनन किया जायेगा जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सम्पूर्ण क्षेत्र का भौगोलिक रूप से धरती का स्वरूप ही बदल जायेगा।
- यह है कि, उपरोकत अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में अनेकों पेयजल स्त्रोत, प्राकृतिक कुएं, तालाब, नाडी तथा कृत्रिम जल स्त्रोत, टांके व ट्यूबवेल, जीएलआर स्थित है। गंठिलासर में **कंकराली नाडी, गंवाई कुआ**, खेतास में **नई नाडी**, ढ़ाकोरिया में **तोराणा नाडी, गोलियाणा नाडी, रूपलाई नाडी, प्राकृतिक कुआ**, भदवासी गांव **में भदवासीया नाडी**, बालासर में **बालासर नाडी, रातड़ी नाडी, गोरा की नाडी**, बालासर में **नई नाडी, गौरा नाडी, गंवई कुआ**, मकोड़ी में **निचली/निम्बाड़ी नाडी, बंधा हुआ तालाब**, पीलनवासी में **बंधा हुआ तालाब व सार्वजनिक टांके व खेलिया** स्थित है जो कि प्राकृतिक रूप से ग्रामवासीयों के पेयजल के स्त्रोत है तथा इस क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्र की भी प्यास बुझाते है। उपरोक्त तालाबो में जलीय जीव जन्तु भी रहते है एंव वन्य जीव भी इन्ही तालाब व नाडीयों से अपनी प्यास बुझाते है। उपरोक्त क्षेत्र में उक्त परियोजना में वृहद खनन होने से समस्त प्राकृतिक व कृत्रिम पेयजल व जल स्त्रोत समाप्त/नष्ट हो जायेगें जिससे पेयजन संकट के साथ साथ जलीय जीव जन्तु व वन्य जीवों के जीवन पर भी असर पड़ेगा जो कि पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। उपरोक्त खनन कार्य से इस क्षेत्र की भूमि की सरंचना ही बदल जायेगी एवं आस–पास के गांव के खेतो को

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठिलासर
पं.स. नागौर (राज.)

सींचने वाली बारहमासी धारा प्रदूषित हो जायेगी और कृषि पूरी तरह से नष्ट हो जायेगी। किसानो के पास जीवकोपार्जन का कोई साधन नही रह जायेगा। खनन के कारण जलाशयो में भारी गाद भी जमा होगी व क्षेत्र के जल संसाधनो को भारी नुकसान होगा। खनन क्षेत्र के अलावा आस–पास के क्षेत्रो के जलाशयो, कुआ के पानी में अतिरिक्त लौह व मैंगनीज व अन्य जहरीले तत्व भी मिलेगें जिससे मानव जीवन व वन्य जलीय जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। आस–पास के कई ग्राम पंचायत की भूमिया, कृषि भूमियां, पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता व गुणवत्ता पर भी विपरीत असर पड़ेगा। उक्त क्षेत्र में ग्राम पंचायत चूंटिसरा, ग्राम पंचायत झाड़ीसरा, ग्राम पंचायत जोधियासी, ग्राम पंचायत चाऊ, ग्राम पंचायत श्यामसर, ग्राम पंचायत रोहिणी, ग्राम पंचायत ऊंटवालिया, ग्राम पंचायत सथेरण, ग्राम पंचायत मुण्डासर, ग्राम पंचायत छीला, ग्राम पंचायत अलाय, ग्राम पंचायत बाराणी, ग्राम पंचायत बालवा, ग्राम पंचायत गोगेलाव व नागौर शहर, नोखा शहर, श्रीबालाजी ग्राम के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले आम जनता का जन जीवन, पेड़ पौधे, सार्वजनिक चारागाह की भूमियां, जल स्त्रोत, कृषि भूमि भी बुरी तरह से प्रभावित होगी जिसका मुआवजा किसी भी राशि द्वारा नहीं दिया जा सकता है एवं प्रकृति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति भी सम्भव नही होगी। खनन से आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। रसायनो के रिसाव से उत्पन्न जलक्षेत्रो के प्रदूषण का स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा।

- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने वाले वृहद क्षेत्र में खनन कार्य करने से भूजल स्तर भी समाप्त हो जायेगा एवं खनन कार्य होने वाले क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्रों में भी भूजल स्तर गिर जायेगा एवं प्राकृतिक कुओं से भी पानी समाप्त होने के साथ साथ ट्यूबवैल इत्यादि से भी जल प्राप्त नही किया जा सकेगा। जल स्त्रोत भूजल एवं वर्षा जल प्रकृति के लिए अति आवश्यक तत्व है। उपरोक्त परियोजना मे अंधाधुंध खनन होने से प्राकृतिक जल स्त्रोत के साथ साथ भूजल स्तर भी अत्यन्त निम्न स्तर पर आ जायेगा जिसका खामियाजा वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियो पर भी पड़ेगा एवं मानव जीवन के साथ साथ जीव जन्तुओ पर भी विपरीत असर पड़ेगा।
- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में गोचर भूमि चारागाह की भूमि, जंगल, अंगोर व आड की भूमि है जहां पर वर्षा जल से घास, औषधियां अन्य पौधे उत्पन्न होते है। उपरोक्त परियोजना में खनन कार्य से उक्त क्षेत्र की गोचर भूमि, चारागाह की भूमि पुर्णतया समाप्त हो जायेगी जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले पशुधन गाय, बैल, भेंस, भेड़, बकरिया के साथ साथ आवारा पशु, गायें, बेल, सांड, नीलगाय, ऊंट, गधे, हिरण, खरगोश के जीवन पर भी संकट आ जायेगा एवं प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जायेगा। उपरोक्त खनन कार्य की अनुमति

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं.स.नागौर

देने पर पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगी जो किसी अन्य जगह भूमि आंवटन करने या मुआवजा देने से भी पुरी नही की जा सकती क्योंकि मनुष्य को तो कृषि भूमि व मकान का मुआवजा दिया जा सकता है परन्तु वन्य जीव जन्तु व चारागाह अंगोर आड की भूमि पर होने वाले घास, पौधे व पेड़ इत्यादि वन्य जीवो का मुख्य भोजन व छोटी नाडीयों में एकत्रित होने वाले जल से प्यास बुझाने का एकमात्र स्त्रोत होता है तथा उपरोक्त खनन से चारागाह, अंगोर आड की भूमि पूर्णतया समाप्त हो जावेगी एवं जंगल समाप्त होने से वन्य जीव जंतु के साथ साथ उक्त क्षेत्र में से राष्ट्रीय पक्षी मोर, कबुतर, कुरजां, चिड़िया, कमेड़ी, चंचोलड़ी, कौआ, तीतर, तोता, लोमड़ी, गोयरा, गोह, गिरगिट, सियार, भेड़िया, बिजनोलिया, विभिन्न प्रकार की जंगली बिल्लिया व रेंगने वाले सरीसृप, गिलेहरीयां, सर्प इत्यादि की प्रजातियां ही नष्ट हो जायेगी जो कि ऐसी पर्यावरणीय क्षति है एवं इस क्षति की पूर्ति भी किसी मुआवजे से नहीं की जा सकती है। उक्त खनन कार्य से वृहद क्षेत्र में पर्यावरण असंतुलन होगा जिसका प्रभाव आने वाले समय में कई पीढ़ियो को भुगतना पड़ेगा। उपरोक्त खनन कार्य क्षेत्र के आस–पास काफी गावों की आबादी भूमि व कृषि भूमि है एवं उक्त खनन कार्य से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण से अनुमानित तीस हजार लोग प्रभावित होगी। आजीविका के नुकसान के साथ साथ वायु, शोर और जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावो से भी पीड़ित होगें। खनन से जंगल, कृषि, पशु पालन और जल स्त्रोतो को अपूर्णीय क्षति होगी। वन्यजीवों की मौजूदगी के बावजूद वन क्षेत्रो में खनन की अनुमति देना न्यायोचित नही होगा व वन्य जीवन अत्यधिक प्रभावित हो जावेगा।

3. <u>ध्वनि प्रदूषण –</u>

- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में जमीन को हजार फुट से भी ज्यादा गहरे तक खोदकर खनिज निकाले जायेगें जो कि किसी भारी भरकम मशीनो के बिना बिलकुल भी संभव नहीं है। क्षेत्र में खनन कार्य होने पर अनेक वाहन व मशीनो का आवागमन व संचालन होगा एवं अत्यधिक शोर व भूमि में कंपन होगा जिससे इस क्षेत्र में व क्षेत्र के आस–पास के गांवो की आबादी तथा जीव जन्तु ध्वनि प्रदूषण से बच नही पायेगी जिसका दूरगामी दुष्परिणाम बच्चों में बहरापन, पशुओ में बांझपन, मानसिक रोग, पागलपन व गर्भवती महिलाओं, जानवरो पर बुरा असर होना स्वभाविक होगा एंव उक्त खनन कार्य के ध्वनि प्रदूषण से आस–पास के क्षेत्रों को मिलाकर आबादी पर पर्यावरणीय नुकसान होगा एवं मानसिक बीमारियां भी जन्म लेगी जो कि किसी मुआवजा से पुरी नही की जा सकेगी।

4. <u>वायु प्रदूषण</u>

- यह है कि उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में यदि खनन कार्य किया जावेगा तब धरती में अन्दर तक मशीनो से खनन

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मलीडी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत मंठोलासर
पं.स.नागौर (राज.)

कार्य करने से भूमि में से अनेक रसायनिक तत्व व गैसे भी निकलेगी साथ ही खनन कार्य से मिट्टी के छोटे कण पुरे क्षेत्र के वातावरण में फैल जायेगें जिसे खनन क्षेत्र तक सीमित किया जाना सम्भव नही होगा व न ही ऐसी किसी गैसो, धूल के कणो इत्यादि को फैलने से रोका जा सकेगा जिससे उपरोक्त क्षेत्र के वातावरण को प्रभावित करने के साथ साथ वायुमण्डल में भी विपरीत असर पड़ेगा। उपरोक्त खनन क्षेत्र में खनन हेतु भारी मात्रा में मशीनरी का उपयोग किया जावेगा एवं वन क्षेत्रो में अनेको वाहनो का आवागमन रहेगा जिससे भी अत्यधिक वायु प्रदूषण होगा जिससे वायू में जहरीली गैसो की मात्रा व वायु प्रदूषण आस–पास के क्षेत्र व शहर को भी प्रभावित करेगा। वायु प्रदूषण से खनन क्षेत्र के अलावा भी आस–पास के क्षेत्र में मनुष्यो में दमा, टी.बी., सिलीकोसिस आदि बीमारियां स्वभाविक है तथा मानसिक रोग, पागलपन होने की आंशका रहेगी जिस तरह किसी बम के फटने पर वायु प्रदूषण होगा उसी तरह खनन क्षेत्र में विस्फोटको व मशीनरी के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण से बच्चो व गर्भवती महिलो पर विपरीत असर पड़ने के साथ साथ असंख्य पेड़ पौधो का नष्ट होना स्वभाविक है जिसका खामियाजा भविष्य की पीढ़ियो को भुगतना पड़ेगा।

- यह है कि, उपरोक्त क्षेत्र में खनन कार्य होने से रेत के कण वायु में फैलने पर बारिश भी कम होने की आशंका भी रहेगी व रेत के कण आस–पास की कृषि भूमियो पर जमने पर आस–पास की कृषि भूमियो की उत्पादकता का क्षरण होगा व कृषि भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि में परिवर्तित हो जायेगी जिसकी भी क्षतिपूर्ति किसी भी मुआवजे से नही की जा सकेगी। खनन क्षेत्र के अलावा भी आस–पास के चारो ओर के क्षेत्र में कृषि भूमि बंजर होने की आशंका है साथ ही पालतु पशुओ में भी प्रदूषण की वजह से बांझपन, चर्म रोग व अंधापन इत्यादि बीमारिया भी होनी स्वभाविक है। कृषि भूमियो से गुणवत्ता वाले अनाज भी पैदा नहीं होगें जिससे खाद्यान का संकट भी उपरोक्त खनन क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र में हो जायेगा जिससे जन जीवन अत्यधिक प्रभावित होकर उन पर बुरा असर पड़ेगा व वन संरक्षण अधिनियम व पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम के प्रावधानो की खुली अवहेलना होगी।

5. <u>अन्य दुष्प्रभाव</u>

- यह है कि, उपरोक्त खनन हेतु अधिग्रहित किये जाने वाली प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में गौवंश को पालने, संरक्षित करने हेतु पंचमेड़ा नंदी गौशाला भदवासी, गौतम ऋषि गौशाला गंठिलासर व श्रीराम गौशाला मकोड़ी में स्थित है जहां के गौवंश आस–पास के चारागाह भूमि, कृषि भूमि में होने वाली घास से अपना भोजन प्राप्त करते है व गौशाला में गौवंश का सरंक्षण किया जाता है। उपरोक्त क्षेत्र में खनन कार्य से गौशाला को भी स्थानान्तरित नीति नही होने से एक साथ करीब 2000 गौवंश के जीवन

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

पर भी संकट आ जायेगा। गाय आस–पास के क्षेत्र के धार्मिक आस्था का केन्द्र भी है एवं गाय गौवंश के नष्ट होने या स्थानान्तरित होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के साथ साथ क्षेत्र के निवासीयो की धार्मिक भावना को भी नुकसान पहुंचेगा।

- यह है कि उपरोक्त खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शमशान भूमियां स्थित है जो कि अलग अलग समाजो की है जहां तक हिन्दू धर्म के अनुसार शव को जलाया जाता है परन्तु कहीं पंथो में समाधि दी जाती है एवं अवशेष के उपर समाधियों का निर्माण करवाया हुआ है तथा कुछ जीवित समाधियां भी स्थित है जिन्हे स्थानान्तरित किया जाना भी सम्भव नही है इसके अलावा क्षेत्र में धार्मिक आस्था के प्राचीन व नवनिर्मित मन्दिर भी है जिसे भी नष्ट करने से मन्दिरो के आस–पास की हरियाली व जल स्त्रोत भी नष्ट हो जावेगें। ग्राम मकोड़ी में भक्तिराम जी का मन्दिर, शिव जी का मन्दिर, ठाकुर जी का मन्दिर, जसनाथ जी का मन्दिर, हनुमान जी का मन्दिर, भदवासी में शिव मन्दिर, रामदेव जी का मन्दिर, ठाकुर जी का मन्दिर, गौंसाई जी का मन्दिर, केसरिया कंवर जी का मन्दिर, बालासर में तीन मन्दिर, गंठिलासर में विश्वकर्मा मन्दिर, आई माता मन्दिर व ढ़ाकोरियो, पीलनवासी में भी मन्दिर स्थित है जो कि धार्मिक आस्था के कारण प्राकृतिक सौन्दर्य हरियाली से सुसज्जित है जिनको भी अन्य जगह स्थानान्तरित या नष्ट होने की पूर्ण सम्भावना है जिससे उक्त क्षेत्र के निवासीयों की धार्मिक आस्था को भी नुकसान पहूंचेगा।
- यह है कि, उपरोक्त क्षेत्र में दान की गयी व सरकारी भूमि पर विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित है जो नष्ट या स्थानान्तरित होने से आस–पास के आबादी भूमि को प्रभावित करेगी।

6. <u>केन्द्र पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख में एस्टीमेंटेड राशि का उल्लेख गलत रूप से किया जाना</u>

- यह है कि प्रेस विज्ञप्ति में बताये गये स्थानो पर जो अभिलेख उपलब्ध करवाये गये है उक्त अभिलेख हिन्दी में अनुवादित नही है एवं उक्त अभिलेख में मुआवजे की एस्टिमेटेड राशि का उल्लेख कर विवरण दिया गया है जो कि सभी तरह से गलत है तथा यह किसी भी तरह से पर्यावरण से सम्बन्धित नही है। उक्त विवरणीका में कृषि भूमियो व वृक्षो, मकानो की दरे बतायी गयी है जो कि पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित नही है जिसे इस पुस्तिका से हटाया जावे एवं उक्त अभिलेख में पर्यावरण से सम्बन्धित तथ्यो पर आपत्ति के साथ साथ अन्य तथ्यो पर भी आपत्ति है। इस पुस्तिका में पर्यावरण से सम्बन्धित तथ्यो के अलावा अन्य तथ्य नही लिखा जावे। उक्त सार अभिलेख को केन्द्र पर नहीं रखा जाकर इसका हिन्दी अनुवाद कर ग्राम पंचायत केन्द्र पर रखा जाना आवश्यक है ताकि प्रभावित होने वाली आम जनता इसे पढ़ व समझ सके तथा अपनी विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत कर सके।

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोडी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्रामपंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

अतः उपरोक्त नोटिस दिनांक 10.01.2024 व प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2024 के 30 दिवस की समयावधि के भीतर यह लिखित आपत्ति श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य हेतु अनुमति नही दी जावे अन्यथा भौगोलिक रूप से उक्त क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो जायेगें तथा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन के साथ साथ वन्य जीवन पर भी अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा जिससे वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़िया भी प्रभावित होगी। इति।

दिनांक :— 08.02.2024

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

प्रेषित प्रतिलिपी —

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, नागौर
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
3. श्रीमान् केन्द्रीय अधिकारी, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, महर्षि वाल्मिकी मार्ग, ईस्ट अर्जुन नगर, विश्वास नगर, सहधरा दिल्ली 110032

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

सादर प्रकाशनार्थ – श्रीमान् सम्पादक महोदय, दैनिक भास्कर नागौर।

आपत्ति

सेवामें,

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर

विषय :– **आपत्ति** बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य) ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु।

सन्दर्भ :– प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12 जनवरी 2024 को श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदुषण/ज.शु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में प्रकाशित आम सुचना।

आपत्तिकर्ता :– नागौर तहसील के ग्राम भदवासी, गंठिलासर, मकोड़ी, पिलनवासी, ढ़ाकोरिया, बालवा, बालासर व अन्य गांवो के ग्रामवासी व किसान।

महोदयजी,

.उपरोक्त सन्दर्भ में श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर द्वारा दिनांक 12.01.2024 को आम सूचना प्रकाशित कर मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति चाही गयी है एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15. 01.2016 के प्रावधानानुसार जन सुनवाई हेतु सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया गया है। उक्त नोटिस दिनांक 10.01.2024 के दिनांक 12.01.2024 को प्रकाशन होने के 30 दिवस के भीतर हम ग्रामवासीयों द्वारा किसी भी पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही है जो कि इस प्रकार है –

1. अवलोकनार्थ सार अभिलेख का हिन्दी में उपलब्ध नहीं होना।
   - यह है कि, उक्त खनन प्रयोजनार्थ से सम्बन्धित समूह ई आई ए/ ई एम पी रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख जिन कार्यालयों में उपलब्ध करवाये गये है। उक्त सभी दस्तावेजात पूर्णतया अंग्रेजी भाषा में हैं चूंकि ग्रामवासी किसानगण इतने पढ़े लिखे नहीं है जो इस प्रकार के दस्तावेजो की क्लिष्ट भाषा को समझ सकें। उपरोक्त सार अभिलेख आम जनता के अवलोकनार्थ विभिन्न कार्यालयों में रखे गये है जो कि हिन्दी अनुवाद नहीं होने से स्थानीय ग्रामवासी समस्त दस्तावेजो को पढ़ने व समझने में असमर्थ है एवं उक्त स्थानो पर आंगल भाषा में

Rajasthan Pollution Control Board
Receipt No. 900
12/02/24

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

रखे गये दस्तावेजात व रेकार्ड को समझाने हेतु कोई सक्षम प्राधिकारी भी मौजूद नही है जिस कारण आम नागरिक ग्रामवासी व किसान उपरोक्त आंग्ल भाषा के दस्तावेजात को पूर्णतया सहीं ढ़ंग से पढ़ने व समझने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में पूनः अवलोकनार्थ उक्त दस्तावेजात का हिन्दी अनुवाद विभिन्न कार्यालयों में रखा जाना आवश्यक है ताकि समस्त दस्तावेजात को आसानी से ग्रामवासी व किसान पढ़ सके व समझ सके।

2. पर्यावरणीय नुकसान

- यह है कि, उपरोक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि क्षेत्र में सघन वन है तथा वन विभाग द्वारा भी वन विकास कार्य करवाया जाकर हजारों पेड़ लगाये हुये है जिसमें मुख्यतः खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम, बबूल, बेर, पीपल, बरगद, देशी बबूल, देशी बोरड़ी, फोगड़ा व शीशम इत्यादि है। उपरोक्त परियोजना में खनन करने से उपरोक्त क्षेत्र में सघन वन समाप्त हो जायेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा एवं उपरोक्त पेड़ो पर आश्रित विभिन्न पक्षी भी बेघर हो जायेगें। अनेक वृक्ष कटने से वायु प्रदुषित होगी जिसकी कमी तुरन्त वृक्षारोपण कर पुरी नही की जा सकती है।
- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण की जाने वाले क्षेत्र में अनाज की खेती के अलावा भी विभिन्न जड़ी बूटिया, औषधिय पौधे इत्यादि भी उत्पन्न होते है जिसमें मुख्यतः अश्वगंधा, केर व धमासिया है। उपरोक्त क्षेत्र में खनन कार्य से औषधिय पौधे व जड़ी बुटिया भी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि अन्य स्थान ऐसे औषधिय पौधो के लिये उपयुक्त नही है।
- यह है कि, उपरोक्त परियोजना में जमीन को हजारो फीट तक खनन किया जायेगा जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सम्पूर्ण क्षेत्र का भौगोलिक रूप से धरती का स्वरूप ही बदल जायेगा।
- यह है कि, उपरोकत अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में अनेकों पेयजल स्त्रोत, प्राकृतिक कुएं, तालाब, नाडी तथा कृत्रिम जल स्त्रोत, टांके व ट्यूबवेल, जीएलआर स्थित है। गंठिलासर में कंकराली नाडी, गंवाई कुआ, खेतास में नई नाडी, ढ़ाकोरिया में तोराणा नाडी, गोलियाणा नाडी, रूपलाई नाडी, प्राकृतिक कुआ, भदवासी गांव में भदवासीया नाडी, बालासर में बालासर नाडी, रातड़ी नाडी, गोरा की नाडी, बालासर में नई नाडी, गौरा नाडी, गंवई कुआ, मकोड़ी में निचली/निम्बाड़ी नाडी, बंधा हुआ तालाब, पीलनवासी में बंधा हुआ तालाब व सार्वजनिक टांके व खेलिया स्थित है जो कि प्राकृतिक रूप से ग्रामवासीयों के पेयजल के स्त्रोत है तथा इस क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्र की भी प्यास बुझाते है। उपरोक्त तालाबो में जलीय जीव जन्तु भी रहते है एंव वन्य जीव भी इन्ही तालाब व नाडीयों से अपनी प्यास बुझाते है। उपरोक्त क्षेत्र में उक्त परियोजना में वृहद खनन होने

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

से समस्त प्राकृतिक व कृत्रिम पेयजल व जल स्त्रोत समाप्त/नष्ट हो जायेगें जिससे पेयजन संकट के साथ साथ जलीय जीव जन्तु व वन्य जीवों के जीवन पर भी असर पड़ेगा जो कि पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। उपरोक्त खनन कार्य से इस क्षेत्र की भूमि की सरंचना ही बदल जायेगी एवं आस–पास के गांव के खेतो को सींचने वाली बारहमासी धारा प्रदूषित हो जायेगी और कृषि पूरी तरह से नष्ट हो जायेगी। किसानों के पास जीवकोपार्जन का कोई साधन नही रह जायेगा। खनन के कारण जलाशयो में भारी गाद भी जमा होगी व क्षेत्र के जल संसाधनो को भारी नुकसान होगा। खनन क्षेत्र के अलावा आस–पास के क्षेत्रो के जलाशयो, कुआ के पानी में अतिरिक्त लौह व मैंगनीज व अन्य जहरीले तत्व भी मिलेगें जिससे मानव जीवन व वन्य ज़लीय जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। आस–पास के कई ग्राम पंचायत की भूमिया, कृषि भूमियां, पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता व गुणवत्ता पर भी विपरीत असर पड़ेगा। उक्त क्षेत्र में ग्राम पंचायत चूंटिसरा, ग्राम पंचायत झाड़ीसरा, ग्राम पंचायत जोधियासी, ग्राम पंचायत चाऊ, ग्राम पंचायत श्यामसर, ग्राम पंचायत रोहिणी, ग्राम पंचायत ऊंटवालिया, ग्राम पंचायत सथेरण, ग्राम पंचायत मुण्डासर, ग्राम पंचायत छीला, ग्राम पंचायत अलाय, ग्राम पंचायत बाराणी, ग्राम पंचायत बालवा, ग्राम पंचायत गोगेलाव व नागौर शहर, नोखा शहर, श्रीबालाजी, ग्राम के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले आम जनता का जन जीवन, पेड़ पौधे, सार्वजनिक चारागाह की भूमियां, जल स्त्रोत, कृषि भूमि भी बुरी तरह से प्रभावित होगी जिसका मुआवजा किसी भी राशि द्वारा नहीं दिया जा सकता है एवं प्रकृति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति भी सम्भव नही होगी। खनन से आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। रसायनो के रिसाव से उत्पन्न जलक्षेत्रो के प्रदूषण का स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा।

- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने वाले वृहद क्षेत्र में खनन कार्य करने से भूजल स्तर भी समाप्त हो जायेगा एवं खनन कार्य होने वाले क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्रों में भी भूजल स्तर गिर जायेगा एवं प्राकृतिक कुओं से भी पानी समाप्त होने के साथ साथ ट्यूबवैल इत्यादि से भी जल प्राप्त नही किया जा सकेगा। जल स्त्रोत भूजल एवं वर्षा जल प्रकृति के लिए अति आवश्यक तत्व है। उपरोक्त परियोजना मे अंधाधुंध खनन होने से प्राकृतिक जल स्त्रोत के साथ साथ भूजल स्तर भी अत्यन्त निम्न स्तर पर आ जायेगा जिसका खामियाजा वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियो पर भी पड़ेगा एवं मानव जीवन के साथ साथ जीव जन्तुओ पर भी विपरीत असर पड़ेगा।
- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में गोचर भूमि चारागाह की भूमि, जंगल, अंगोर व आड की भूमि है जहां पर वर्षा

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

जल से घास, औषधियां अन्य पौधे उत्पन्न होते है। उपरोक्त परियोजना में खनन कार्य से उक्त क्षेत्र की गोचर भूमि, चारागाह की भूमि पुर्णतया समाप्त हो जायेगी जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले पशुधन गाय, बैल, भेंस, भेड़, बकरिया के साथ साथ आवारा पशु, गायें, बेल, सांड, नीलगाय, ऊंट, गधे, हिरण, खरगोश के जीवन पर भी संकट आ जायेगा एवं प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जायेगा। उपरोक्त खनन कार्य की अनुमति देने पर पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगी जो किसी अन्य जगह भूमि आंवटन करने या मुआवजा देने से भी पुरी नही की जा सकती क्योंकि मनुष्य को तो कृषि भूमि व मकान का मुआवजा दिया जा सकता है परन्तु वन्य जीव जन्तु व चारागाह अंगोर आड की भूमि पर होने वाले घास, पौधे व पेड़ इत्यादि वन्य जीवो का मुख्य भोजन व छोटी नाडीयों में एकत्रित होने वाले जल से प्यास बुझाने का एकमात्र स्त्रोत होता है तथा उपरोक्त खनन से चारागाह, अंगोर आड की भूमि पूर्णतया समाप्त हो जावेगी एवं जंगल समाप्त होने से वन्य जीव जंतु के साथ साथ उक्त क्षेत्र में से राष्ट्रीय पक्षी मोर, कबुतर, कुरजां, चिड़िया, कमेड़ी, चंचोलड़ी, कौआ, तीतर, तोता, लोमड़ी, गोयरा, गोह, गिरगिट, सियार, भेड़िया, बिजनोलिया, विभिन्न प्रकार की जंगली बिल्लिया व रेंगने वाले सरीसृप, गिलेहरीयां, सर्प इत्यादि की प्रजातियां ही नष्ट हो जायेगी जो कि ऐसी पर्यावरणीय क्षति है एवं इस क्षति की पूर्ति भी किसी मुआवजे से नहीं की जा सकती है। उक्त खनन कार्य से वृहद क्षेत्र में पर्यावरण असंतुलन होगा जिसका प्रभाव आने वाले समय में कई पीढ़ियो को भुगतना पड़ेगा। उपरोक्त खनन कार्य क्षेत्र के आस–पास काफी गावों की आबादी भूमि व कृषि भूमि है एवं उक्त खनन कार्य से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण से अनुमानित तीस हजार लोग प्रभावित होगी। आजीविका के नुकसान के साथ साथ वायु, शोर और जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावो. से भी पीड़ित होगें। खनन से जंगल, कृषि, पशु पालन और जल स्त्रोतो को अपूर्णीय क्षति होगी। वन्यजीवों की मौजूदगी के बावजूद वन क्षेत्रो में खनन की अनुमति देना न्यायोचित नही होगा व वन्य जीवन अत्यधिक प्रभावित हो जावेगा।

3. **ध्वनि प्रदूषण –**

- यह है कि, उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में जमीन को हजार फुट से भी ज्यादा गहरे तक खोदकर खनिज निकाले जायेगें जो कि किसी भारी भरकम मशीनो के बिना बिलकुल भी संभव नहीं है। क्षेत्र में खनन कार्य होने पर अनेक वाहन व मशीनो का आवागमन व संचालन होगा एवं अत्यधिक शोर व भूमि में कंपन होगा जिससे इस क्षेत्र में व क्षेत्र के आस–पास के गांवो की आबादी तथा जीव जन्तु ध्वनि प्रदूषण से बच नही पायेगी जिसका दूरगामी दुष्परिणाम बच्चों में बहरापन, पशुओ में बांझपन, मानसिक रोग, पागलपन व गर्भवती महिलाओं, जानवरो पर बुरा असर होना स्वभाविक होगा एवं उक्त

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्रामपंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

खनन कार्य के ध्वनि प्रदूषण से आस–पास के क्षेत्रों को मिलाकर आबादी पर पर्यावरणीय नुकसान होगा एवं मानसिक बीमारियां भी जन्म लेगी जो कि किसी मुआवजा से पुरी नही की जा सकेगी।

4. <u>वायु प्रदूषण</u>

- यह है कि उपरोक्त अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में यदि खनन कार्य किया जावेगा तब धरती में अन्दर तक मशीनो से खनन कार्य करने से भूमि में से अनेक रसायनिक तत्व व गैसे भी निकलेगी साथ ही खनन कार्य से मिट्टी के छोटे कण पुरे क्षेत्र के वातावरण में फैल जायेगें जिसे खनन क्षेत्र तक सीमित किया जाना सम्भव नही होगा व न ही ऐसी किसी गैसो, धूल के कणो इत्यादि को फैलने से रोका जा सकेगा जिससे उपरोक्त क्षेत्र के वातावरण को प्रभावित करने के साथ साथ वायुमण्डल में भी विपरीत असर पड़ेगा। उपरोक्त खनन क्षेत्र में खनन हेतु भारी मात्रा में मशीनरी का उपयोग किया जावेगा एवं वन क्षेत्रो में अनेको वाहनो का आवागमन रहेगा जिससे भी अत्यधिक वायु प्रदूषण होगा जिससे वायू में जहरीली गैसो की मात्रा व वायु प्रदूषण आस–पास के क्षेत्र व शहर को भी प्रभावित करेगा। वायु प्रदूषण से खनन क्षेत्र के अलावा भी आस–पास के क्षेत्र में मनुष्यो में दमा, टी.बी., सिलीकोसिस आदि बीमारियां स्वभाविक है तथा मानसिक रोग, पागलपन होने की आंशका रहेगी जिस तरह किसी बम के फटने पर वायु प्रदूषण होगा उसी तरह खनन क्षेत्र में विस्फोटको व मशीनरी के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण से बच्चो व गर्भवती महिलो पर विपरीत असर पड़ने के साथ साथ असंख्य पेड़ पौधो का नष्ट होना स्वभाविक है जिसका खामियाजा भविष्य की पीढ़ियो को भुगतना पड़ेगा।
- यह है कि, उपरोक्त क्षेत्र में खनन कार्य होने से रेत के कण वायु में फैलने पर बारिश भी कम होने की आशंका भी रहेगी व रेत के कण आस–पास की कृषि भूमियो पर जमने पर आस–पास की कृषि भूमियो की उत्पादकता का क्षरण होगा व कृषि भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि में परिवर्तित हो जायेगी जिसकी भी क्षतिपूर्ति किसी भी मुआवजे से नही की जा सकेगी। खनन क्षेत्र के अलावा भी आस–पास के चारो ओर के क्षेत्र में कृषि भूमि बंजर होने की आशंका है साथ ही पालतु पशुओ में भी प्रदूषण की वजह से बांझपन, चर्म रोग व अंधापन इत्यादि बीमारिया भी होनी स्वभाविक है। कृषि भूमियो से गुणवत्ता वाले अनाज भी पैदा नहीं होगें जिससे खाद्यान का संकट भी उपरोक्त खनन क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र में हो जायेगा जिससे जन जीवन अत्यधिक प्रभावित होकर उन पर बुरा असर पड़ेगा व वन संरक्षण अधिनियम व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानो की खुली अवहेलना होगी।

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठीलासर
पं.स.नागौर (राज.)

5. <u>अन्य दुष्प्रभाव</u>

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोडी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

- यह है कि, उपरोक्त खनन हेतु अधिग्रहित किये जाने वाली प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में गौवंश को पालने, संरक्षित करने हेतु पंचमेड़ा नंदी गौशाला भदवासी, गौतम ऋषि गौशाला गंठिलासर व श्रीराम गौशाला मकोड़ी में स्थित है जहां के गौवंश आस–पास के चारागाह भूमि, कृषि भूमि में होने वाली घास से अपना भोजन प्राप्त करते है व गौशाला में गौवंश का संरक्षण किया जाता है। उपरोक्त क्षेत्र में खनन कार्य से गौशाला को भी स्थानान्तरित नीति नही होने से एक साथ करीब 2000 गौवंश के जीवन पर भी संकट आ जायेगा। गाय आस–पास के क्षेत्र के धार्मिक आस्था का केन्द्र भी है एवं गाय गौवंश के नष्ट होने या स्थानान्तरित होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के साथ साथ क्षेत्र के निवासीयो की धार्मिक भावना को भी नुकसान पहुंचेगा।
- यह है कि उपरोक्त खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में श्मशान भूमियां स्थित है जो कि अलग अलग समाजो की है जहां तक हिन्दू धर्म के अनुसार शव को जलाया जाता है परन्तु कहीं पंथो में समाधि दी जाती है एवं अवशेष के उपर समाधियां का निर्माण करवाया हुआ है तथा कुछ जीवित समाधियां भी स्थित हैं जिन्हें स्थानान्तरित किया जाना भी सम्भव नही है इसके अलावा क्षेत्र में धार्मिक आस्था के प्राचीन व नवनिर्मित मन्दिर भी हैं जिसे भी नष्ट करने से मन्दिरो के आस–पास की हरियाली व जल स्त्रोत भी नष्ट हो जावेगें। ग्राम मकोड़ी में भक्तिराम जी का मन्दिर, शिव जी का मन्दिर, ठाकुर जी का मन्दिर, जसनाथ जी का मन्दिर, हनुमान जी का मन्दिर, भदवासी में शिव मन्दिर, रामदेव जी का मन्दिर, ठाकुर जी का मन्दिर, गौंसाई जी का मन्दिर, केसरिया कंवर जी का मन्दिर, बालासर में तीन मन्दिर, गंठिलासर में विश्वकर्मा मन्दिर, आई माता मन्दिर व ढ़ाकोरियो, पीजनवासी में भी मन्दिर स्थित है जो कि धार्मिक आस्था के कारण प्राकृतिक सौन्दर्य हरियाली से सुसज्जित है जिनको भी अन्य जगह स्थानान्तरित या नष्ट होने की पूर्ण सम्भावना है जिससे उक्त क्षेत्र के निवासीयों की धार्मिक आस्था को भी नुकसान पहूंचेगा।
- यह है कि, उपरोक्त क्षेत्र में दान की गयी व सरकारी भूमि पर विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित हैं जो नष्ट या स्थानान्तरित होने से आस–पास के आबादी भूमि को प्रभावित करेगी।

6. <u>केन्द्र पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख में एस्टीमेंटेड राशि का उल्लेख गलत रूप से किया जाना</u>

- यह है कि प्रेस विज्ञप्ति में बताये गये स्थानो पर जो अभिलेख उपलब्ध करवाये गये है उक्त अभिलेख हिन्दी में अनुवादित नही है एवं उक्त अभिलेख में मुआवजे की एस्टिमेटेड राशि का उल्लेख कर विवरण दिया गया है जो कि सभी तरह से गलत है तथा यह किसी भी तरह से पर्यावरण से सम्बन्धित नही है। उक्त विवरणीका में कृषि

सरपंच
ग्राम पंचायत बाजवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोड़ी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत गंठिलासर
पं.स. नागौर (राज.)

भूमियो व वृक्षो, मकानो की दरे बतायी गयी है जो कि पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित नही है जिसे इस पुस्तिका से हटाया जावे एवं उक्त अभिलेख में पर्यावरण से सम्बन्धित तथ्यो पर आपत्ति के साथ साथ अन्य तथ्यो पर भी आपत्ति है। इस पुस्तिका में पर्यावरण से सम्बन्धित तथ्यो के अलावा अन्य तथ्य नही लिखा जावे। उक्त सार अभिलेख को केन्द्र पर नहीं रखा जाकर इसका हिन्दी अनुवाद कर ग्राम पंचायत केन्द्र पर रखा जाना आवश्यक है ताकि प्रभावित होने वाली आम जनता इसे पढ़ व समझ सके तथा अपनी विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत कर सके।

अतः उपरोक्त नोटिस दिनांक 10.01.2024 व प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2024 के 30 दिवस की समयावधि के भीतर यह लिखित आपत्ति श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य हेतु अनुमति नही दी जावे अन्यथा भौगोलिक रूप से उक्त क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो जायेगें तथा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन के साथ साथ वन्य जीवन पर भी अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा जिससे वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़िया भी प्रभावित होगी। इति।

दिनांक :— 08.02.2024

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोडी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत
पं.स.नागौर (राज.)

प्रेषित प्रतिलिपी —

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, नागौर
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
3. श्रीमान् केन्द्रीय अधिकारी, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, महर्षि वाल्मिकी मार्ग, ईस्ट अर्जुन नगर, विश्वास नगर, सहधरा दिल्ली 110032

सरपंच
ग्राम पंचायत मकोडी
पं०स०नागौर

सरपंच
ग्राम पंचायत बालवा
पं.स.नागौर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत
पं.स.नागौर (राज.)

SR No. COOP/2023/NAGAUR/203495

नागौर जिप्सम प्लास्टर उद्योग सेवा समिति भदवासी

ऑफिस – ठाकुरजी मन्दिर के पास भदवासी जिला (नागौर)

मुमताज खान
अध्यक्ष
8290762425

ताराचन्द सांखला
सचिव
9460544446

मेघराज भाटी
सचिव
9672292828

नन्द किशोर परिहार
कोषाध्यक्ष
8003709292

भंवरलाल सिंवर
उपाध्यक्ष
9982071194

सहदेव परिहार
उपाध्यक्ष
9414118230

छोटूराम परिहार
सहसचिव
8619279181

उदाराम सिंवर
सहसचिव
8949084313

संदीप सिंवर
मीडिया प्रभारी
7296830230

भागीरथ जांगु
संगठन मंत्री
9829802308

केलाश भाटी
संगठन मंत्री
9414864246

क्रमांक........................ दिनांक........................

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्रिय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
नागौर, राजस्थान

विषय – पर्यावरणीय अनापति हेतु आयोजित जनसुनवाई बाबत्।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि भदवासी जिप्सम खनन परियोजना की सार्वजनिक जन सुनवाई दिनांक 19.02.2024 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पिलनवासी में आयोजित की गई। हम समस्त ग्रामवासियों का अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निम्नलिखित मांगों को पुस किया जाये –

1. खनन कार्य के दौरान पर्यावरण का ख्याल रखा जाये।
2. खनन में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये।
3. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के आधार पर जमीन का मूल्य का निर्धारण किया जाये।
4. भदवासी में स्थित लघु एवं सुक्ष्म उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये।

हम सभी इस प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं।

धन्यवाद

नागौर जिप्सम प्लास्टर उद्योग सेवा समिति, भदवासी

22/02/24
AEE

(अध्यक्ष)

अध्यक्ष
नागौर जिप्सम प्लास्टर उद्योग सेवा समिति
भदवासी (नागौर)

छोटू परिहार

Rajasthan Pollution Control Board
Receipt No. 917
24/02/24
Nagaur

लिए प्रोत्साहित करें। कोई भी काम करने से पहले यह सोच लें कि उनके परिवार को फायदा होगा या नुकसान।

जाएगी जिसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों ही होंगे। बस उसको सावधानी से उपयोग में लेने की जरूरत है। यातायात शाखा के

अंत में एपीए प्रियंका कच्छावाह द्वारा कार्यक्रम के समापन पर आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार राशि ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से दोपहर 12 बजे मण्डी कार्यालय मे दी जाएगी।

डेगाना. मिट्टी के जांच के बाद प्रमाण देते अधिकारी।

कृषि मंडी में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित, योजना की जानकारी दी

भास्कर न्यूज | डेगाना

कृषि मंडी कार्यालय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जागरूकता का एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण गुरुवार को कृषि मंडी में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला परिसर में आयोजित किया गया।

इस दौरान प्रयोगशाला प्रभारी बाबूलाल चौधरी द्वारा किसानों को फिल्ड से मृदा नमूना एकत्र करने एवम नमूना जांच बाद तैयार मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मृदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया की मिट्टी की सही जांच होने के बाद उसकी उर्वरकता की पहचान होने के बाद पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए किसानों को चाहिए की वह अपने खेतों की मिट्टी का आवश्यक रूप से परीक्षण कराए। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी अश्विन कुमार मीणा एवम प्रेम सियाक द्वारा योजनाओं के बारे में बताया।

पार्षदों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, राजनीति करने का लगाया आरोप

बासनी. पालिका कर्मचारी के.समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते पार्षद।

भास्कर न्यूज | बासनी

नगर पालिका बासनी में कार्यरत मोहम्मद अजहरुद्दीन वरिष्ठ सहायक को लेकर इन दिनों राजनीति होने लगी है। कुछ पार्षद उन्हें हटाना चाहते हैं तो कुछ पार्षद अजहरुद्दीन के समर्थन में उतर गए हैं। कुछ दिन पहले अजहरुद्दीन को हटाने के लिए के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। अब पार्षदों का एक गुट अजहरुद्दीन के समर्थन में ज्ञापन देने कलक्टर के पास पहुंचा है।गुरुवार को कलेक्टर को दिए ज्ञापन में लिखा कि अजहरुद्दीन बासनी नगर पालिका में एक मात्र राजकीय व्यक्ति है। कुछ लोग राजनीति के चलते हटाना चाहते है।

ली सप्लाई से पूर्ति की मांग

धान की मांग उठाई

की फसल में सिंचाई करता किसान।

रहते है, जिससे बीमार पड़ने की ो है। किसानों की मांग है कि इस ो बदलकर दिन में ही दी जाए।

झील अतिक्रमण मुक्त करने के लिए की चर्चा

भास्कर न्यूज | नावां सिटी

सांभर झील प्रबंधन समिति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोनाली सेन ने कहा कि सांभर झील ने राज्य को देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील एवं रामसर साइट के साथ विशेष पहचान हासिल करवाने का कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि चूंकि सांभर झील राज्य में न केवल एक पर्यटन क्षेत्र है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग भी है. इसलिए सांभर झील का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक पहलू पर कार्य करना होगा। मोनाली सेन बुधवार को सचिवालय में सांभर झील प्रबंधन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। द्वितीय बैठक के अंतर्गत एजेंडा के विषयों की प्रगति समीक्षा करते हुए कहा कि क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए शीघ्र ही सांभर झील को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय

LiFE

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.). ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M L. No.02/1994, कुल क्षेत्र 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी-ब्लॉक का अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम 3.9600 मिलियन टी.पी.ए. क्ले (अन्य) ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) 2.1263 मिलियन टीपीए तथा वेस्ट- 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.) प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव-भदवासी तहसील-नागौर, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एसओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है

1.जिला कलक्टर नागौर। 2.CEO जिला परिषद् नागौर। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6.उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 7. तहसीलदार, नागौर। 8.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. ग्राम पंचायत, भदवासी। 11.राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील नागौर, जिला-नागौर। 12. बी.डी.ओ नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12.00 बजे, स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील नागौर, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन होगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

अपनी बातें लेकर सामने उतारकर चोरी कर भाग जाते हैं

दुष्कर्मी को बीस साल का कठोर कारावास

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मेड़तासिटी

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो केसेज) संख्या दो मेड़ता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं 60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया

मेड़ता। सजा के बाद दुकर्मी युवक को जेल ले जाती पुलिस। -आरिफ अंसारी

है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने 21 फरवरी 2020 को पादुकलां पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 19 फरवरी 2020 को शाम उसकी पुत्री, पुत्र दोनों घर पर थे। जबकि वह एवं उसकी पत्नि बाड़े में काम रहे थे। काम करके घर आए तो दरवाजा बन्द मिला। दरवाजा खोला तो उसके पुत्र ने बताया कि कुछ देर पहले मुकेश (26) पुत्र जोराराम रेगर निवासी अरनियाला बाइक लेकर घर के सामने आया एवं उसकी पुत्री को मोटर साईकिल पर बैठा कर ले गया। पादूकला पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहान, एवं 27 दस्तावेज पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से 2 दस्तावेज पेश किए गए। विशिष्ट न्यायाधीश अल्का शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकेश को भादसं की धारा 366 में 7 साल का कठोर करावास व 5 हजार का अर्थदंड, भादस की धारा 363 में 5 साल का कठोर कारावास व 5 हजार का अर्थदंड तथा धारा 5 (एल)/ 6 पोक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया जाकर बीस वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार के अथर्दड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो संख्या 2) नेमाराम चौधरी बडियासर एवं परिवादी की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र चौधरी ने पैरवी की।

ी युवाओं की टीम

नाई गई, जो पूरे सप्ताह मानसर चौराहा, गांधी चौक चौराहा, विजय राने हॉस्पिटल चौराहा पर जाकर फूल देकर यातायात नियमों को क करेंगे। यातायात के नियम के के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना री व उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, शेखर, कांस्टेबल नरेंद्र मीणा, दिनेश, रामकुंवार, गरीबाराम व ह हर्षुल पटेल का भी सहयोग रहा।

Date: 13.01.2024 Place: Nagaur

HDFC Bank

DNJ-307

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर 341001 (राज.). ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) M.L. No.02/1994, कुल क्षेत्र 1122.3 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी-ब्लॉक का अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम 3.9600 मिलियन टी.पी.ए. क्ले (अन्य) ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) 2.1263 मिलियन टीपीए तथा वेस्ट- 0.9112 मिलियन टी.पी.ए) प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव-भदवासी तहसील-नागौर, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रेशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राईजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एसओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यकारी सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है

1.जिला कलक्टर नागौर। 2.CEO जिला परिषद् नागौर। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4.संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 6.उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 7. तहसीलदार, नागौर। 8.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।10. ग्राम पंचायत, भदवासी। 11.राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील नागौर, जिला-नागौर। 12. बी.डी.ओ नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12.00 बजे, स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील नागौर, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अग्नि रोधी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

DNA 307881

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा

फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट: urban.rajasthan.gov.in/uitkota

एफ 11/नीलामी/2024/1163

दिनांक :- 12.01.2024

ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

नगर विकास न्यास द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय योजना खेड़ा जगपुरा झालावाड़ रोड में रिसोर्ट हेतु भूखण्ड संख्या-आर-5 को नीलाम किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड एन.एच. 12 पर स्थित है एवं न्यास की फार्म हाउस योजना, आर.टी.ओ. ऑफिस, रीको संस्थान एवं औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित है। ई-ऑक्शन दिनांक 31.01.2024 प्रातः 11.00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 02.02.2024 को दोपहर 2:00 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) नियम/ शर्तें एवं अन्य जानकारी urban.rajasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में न्यास में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष 0744-2500539/(Helpline For Online Support-01412560211) पर सम्पर्क करें।

भूखण्ड संख्या आर-5 का क्षेत्रफल (16124.84 वर्गमीटर)

प्रारंभिक नीलामी दर :- 11,000/- प्रति वर्गमीटर

आरक्षित दर :- 3500/- प्रति वर्गमीटर

धरोहर राशि :- 3547500/-

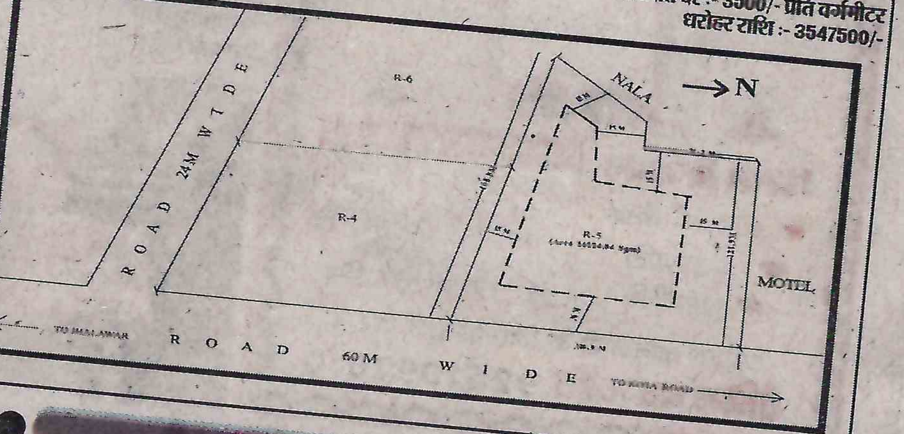

सचिव

DNK-0000